V-11155 15014 Was Bless

परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा।

परिवादी नवनीत अग्रवाल की ओर से श्री अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा ने परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट अभियुक्त रामनिवास अग्रवाल के विरूद्ध मय प्रस्तुत सूची में वर्णित अनुसार मूल चेक एवं उनसे संबंधित बैंक के मेमो पेश किए, अवलोकन उपरांत उन्हें परिवादी को वापिस लौटाये जावें तथा आदेश पत्रिका पर वापसी का पृष्ठांकन लिया जावे। न्यायालय शुल्क प्रस्तुत किये है।

पंजीयन के बिन्दु पर तर्क सुने गए ।

परिवादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत अन्य सहपत्र तथा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र आदि के परिशीलन से आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम का अपराध संज्ञान योग्य बनना प्रतीत होता है तथा मामला इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का तथा संज्ञान हेतु समय सीमा में होना दर्शित होता है। अतः आरोपी उपरोक्त के विरुद्ध उक्त अपराध के लिए मामला केन्द्रीय पंजी में विधिवत दर्ज किया जावे। परिवादी द्वारा विधिवत आदेशिका शुल्क एवं परिवाद की प्रति पेश किए जाने पर आरोपी को साधारण रीति एवं स्पीड पोस्ट से जर्य समंस तलब किया जावे। आरोपी के समंस के साथ परिवाद की प्रति आरोपी के लिए संलग्न कर प्रस्तुत हो। आरोपी के समंस पर इस आश्यं की टीप अंकित की जावे कि—

"यदि आरोपी राजीनामा करना चाहता है तो उपस्थित होने की प्रथम अथवा द्वितीय सुनवाई की दिनांक पर ही इस हेतु न्यायालय में आवेदन करें अन्यथा की दशा में पश्चात्वर्ती प्रकम पर राजीनामा किये जाने पर न्यायालय द्वारा चैक राशि का 10 प्रतिशत तक की कॉस्ट राशि आरोपी पर अधिरोपित की जा सकेंगी।"

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 18.05.17 की

पेश हो।

Judicial Magistrate First Class

Gohad distt.Bhind (M.P.)